न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0न0:–14 / 2013 तारीख रजू:–14.10.2016

जी0सी0एम0एस0 नंबर:–2013 / 00068

पीठासीन अधिकारी :–जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. देवीशंकर पुत्र कल्याण मीना
2. विजयशंकर पुत्र कल्याण मीना
3. श्योराज पुत्र हरिशंकर मीना
4. राकेश पुत्र हरिशंकर मीना
5. सुरेश पुत्र हरिशंकर जरिये संरक्षक अग्रज भ्राता श्योराज पुत्र हरिशंकर मीना

निवासीयान हस्तगंज, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

–वादीगण

बनाम

1. गणपतलाल पुत्र रामगोपाल खटीक, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

वकील वादीगणः– श्री अब्दुल वहाब , एडवोकेट

वकील प्रतिवादी संख्या 1 :– श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट

दावा बाबत् हक, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक 22.12.2025

–: निर्णय :–

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:58:45 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि–

❖ वादीगण जाति से मीना है, एवं ग्राम हस्तगंज, चौथ का बरवाड़ा के निवासी हैं।

❖ वादीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार है–

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

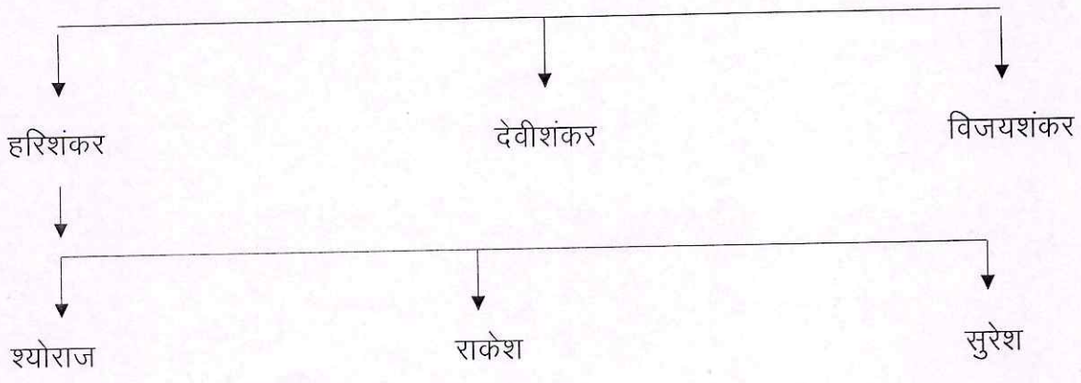

मांग्या पुत्र परमा मीना

↓

कल्याण फौत

- हरिशंकर
  - श्योराज
  - राकेश
  - सुरेश
- देवीशंकर
- विजयशंकर

❖ पुराना आराजी खसरा नंबर 147/328 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम बांसड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर हमारे पूर्वज मांग्या पुत्र परमा मीना के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी रही है, जिसके नवीन खसरा नंबर 637 रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम बांसड़ा कायम किये गये गये हैं।

❖ आराजी खसरा नंबर 637 रकबा 1.06 है0 को तेजराम पुत्र नारायण बैरवा निवासी बांसड़ा को जरिये रजिस्टर्ड बेनामा दिनांक 29.05.1963 को बेचान बताया जाता है, जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 44 तेजराम के हम में बिना तारीखी खोला गया है। यह बेचान व नामान्तरकरण दोनों ही धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के मुताबिक अवैधानिक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 में लागू हो गया था, जिसमें धारा 42 (बी) के अनुसार कोई विक्रय, गिफ्ट या विक्वेस्ट शिड्यूल ट्राइब के व्यक्ति द्वारा ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया हो जो शिड्यूल ट्राइब वह विक्रय पत्र, गिफ्ट या विक्वेस्ट प्रारंभ से ही वोइड है। इस मामले में भी हमारे पूर्वज मांग्या मीना द्वारा जो शिड्यूल ट्राइब के व्यक्ति थे एवं तेजराम पुत्र नारायण बैरवा, जो शिड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, के पक्ष में जरिये रजिस्ट्री बेचान एक्त विवादित आराजी का बताया है, जो विधि विरूद्ध होने से वोइड एवं शून्य है एवं ऐसे बेचान का चाहे वह रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो विधि की नजर में कोई महत्व नहीं है। तेजराम का निधन हो चुका है तथा उसके वारिसान भी नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:58:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ राजस्व अधिकारीगण ने बिना कानूनी प्रावधानों को देखे नामान्तरकरण संख्या 44 के जरिये तेजराम की खातेदारी में चढ़ा दिया, जो भी विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

❖ इसके पश्चात् उक्त विवादित आराजी को तेजराम बैरवा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.2074 को प्रतिवादी संख्या 1 को विक्रय कर दिया, जो भी अवैधानिक व शून्य विक्रय है, क्योंकि विधि के विपरीत तेजराम को ही विवादित आराजी में किसी प्रकार के कोई अधिकार उत्पन्न नहीं हुए थे, तो उस विवादित आराजी को प्रतिवादी संख्या 1 को बेचान का भी कोई अधिकार हासिल नहीं था। इस प्रकार बेचान दिनांक 28.05.1974 भी बमुकाबले वादीगण प्रारंभ से ही वोइड थी, जिसके तहत प्रतिवादी संख्या एक को कोई अधिकार किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं हुए हैं।

❖ वादीगण को यह अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादी संख्या 01 के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.05.1974 तेजराम के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.05.1963 को वोइड घोषित करावे एवं प्रतिवादी संख्या 01 को पाबंद करावे कि वे वादीगण के विवादित आराजी के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे।

❖ विक्रय पत्र दिनांक 30.05.1974 एवं 29.08.1963 प्रारंभ से वोइर्ड दस्तोवज है, जिनके तहत प्रतिवादी संख्या 1 व तेजराम बैरवा को किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नहीं मिलते हैं, हालांकि ये दस्तावेज प्रांरभ से ही वोइड है, जिन्हे न्यायालय से वोइड घोषित करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 व तेजराम बैरवा ने गलत रूप से राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करवा लिये हैं। इसलिये इन्द्राज दुरूस्ती हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में आवश्यक हो गया है।

❖ वादीगण विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 637 रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम बांसड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा अपने नाम खातेदारी करवाने के अधिकारी हैं तथा पूर्व के समस्त रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने के अधिकारी हैं तथा वादीयान के कब्जे में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करने के लिये प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है।

❖ उक्त जमीन पुश्तेनी है, जिसमें वादीयान को भी हक व अधिकार है। पहले वादीयान देवीशंकर, विजयशंकर व वादीयान संख्या 3 लगायत 5 के पिता हरिशंकर की खातेदारी एवं कब्जे में थी, उनका विवादित भूमि को बेचान किया है। उस वक्त हम वादीयान देवीशंकर व विजयशंकर भी नाबालिग थे। उस वक्त कल्याण को भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:58:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

बेचने की गई लीगल नेसेसिटी नहीं थी। पहले यह जमीन मांग्या के खाते में थी, जो पुश्तेनी थी। इसलिये पुश्तेनी जमीन को बिना लीगल नेसेसिटी के बेची नहीं जा सकती थी। इसलिये यह बेचान कल्याण ने तेजराम के पक्ष में किया है, वह अवैधानिक है एवं [illegible] कोई अधिकार तेजराम को या प्रतिवादी गणपत को प्राप्त नहीं होते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:58:45 IST
Reason: SelfAttested

❖ दिनांक 12.05.2013 को वादीयान अपनी खुदकाश्त की पुश्तेनी आराजी खसरा नंबर 638 रकबा 1.06 है0 की साफ सफाई करने गये तो प्रतिवादी संख्या 01, जो कि बैंक में नोकरी करता है, वहां आया और कहा कि तुम लोग मेरी खातेदारी भूमि पर साफ–सफाई नहीं कर सकते। प्रतिवादी संख्या 01 ने कहा कि यह भूमि मेने तेजराम बैरवा से व तेजराम बैरवा ने तुम्होरे बुजुर्ग कल्याण मीना से खरीद की है, इसलिये तुम कैसे काश्त कर सकते हो ? यह मेरी खातेदारी भूमि है, यह कहते हुए वह लड़ाई करने पर आमादा हो गया। वहां मौजूद गवाहान ने बड़ी मुश्किल से बीच बचाव कराया। इसलिये वादीगण के लिये आवश्यक हो गया है कि वह माननीय न्यायालय से अपने नाम खातेदारी करावे तथा प्रतिवादी संख्या 01 को पाबंद करावे कि वो वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करे। यही बिनाय दावा पैदा होकर दावा करना लाजिम हुआ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

❖ अतः दावा वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि–

- ➢ दावा बाबत् इस्तकरार हक इस अमर का फरमाया जावे कि आराजी खसरा नंबर 637 रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम बांसड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा वादीगण की खातेदारी खुदकाश्त की आराजी है, जिसमें वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत करने का प्रतिवादी संख्या 01 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है एवं अवैधानिक प्रतिवादी संख्या 01 व उसके पूर्व तेजराम ने करवाये है, और उनके आधार पर खोले गये समस्त इन्द्राजात बमुकाबले वादीयान नल एवं वोइड है, जिससे वादीयान पाबंद नहीं है, तथा वादीयान अपने नाम इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के अधिकारी हैं। उक्त बेचान से वादीगण पाबंद नहीं है।

- ➢ विवादित आराजी खसरा नंबर 637 रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम बांसड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा के समस्त राजस्व रिकॉर्ड व रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में प्रतिवादी संख्या 01 गणपत लल व उसके पूर्व तेजराम के हक में किये गये समस्त इन्द्राजात दुरूस्त किये जाकर वारिसान के नाम समस्त राजस्व रिकॉर्ड व रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में बतौर खातेदार नाम दर्ज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से फरमाया जावे कि वे खसरा नंबर 637 रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम बांसड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करे और न ही विवादित आराजीयात को को किसी भी प्रकार से रहन, वय व मुन्तकिल नहीं करे।

- दौराने दावा यदि प्रतिवादी विवादित आराजीयात वादीगण के कब्जे का फायदा उठाकर जबरदस्ती कब्जा कर ले तो उसको बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करवाया जावे एवं 50,000/–रूपये प्रति बीघा वादीगण को दिलवाया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिप्रार्थीगण जारी किये जाकर उन्हे न्यायालय में तलब किया।

3. प्रतिवादी संख्या 1 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किये जाने के फलस्वरूप दिनांक 10.10.2023 प्रतिवादी संख्या 01 का जवाब बंद किया गया।

4. वकील वादीगण ने साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं–

   - **पी0डब्ल्यू–01**:– देवीशंकर पुत्र कल्याणमल मीणा, निवासी हस्तगंज, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

   - **प्रदर्श–01**:– जमाबंदी ग्राम बांसड़ा, संवत् 2067–2070

   - **प्रदर्श–02**:– मिलान क्षेत्रफल

   - **प्रदर्श–03**:– जमाबंदी ग्राम बांसड़ा संवत् 2019–2022,

   - **प्रदर्श–04**:– नामान्तरकरण संख्या 44

   - **प्रदर्श–05**:– नामान्तरकरण संख्या 14

   - **प्रदर्श–06**:– जमाबंदी संवत् 2015–2019, बांसड़ा

   - **प्रदर्श–02**:– जमाबंदी संवत् 2027–2030, बांसड़ा

5. वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा साक्ष्य पेश करने से मना किये जाने के फलस्वरूप साक्ष्या प्रतिवादी बंद किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:28:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

6. बहस बकुलाय सुनी गई। वकील उभयपक्षों द्वारा दौराने बहस वादपत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया। मेंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. वकील वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 637 रकबा 1.06 है0 वाके ग्राम बांसड़ा का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 29.05.1963 एवं प्रतिवादी संख्या 01 तेजराम के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.05.1974 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 धारा 42 (बी) का उल्लंघन होने के कारण प्रारंभ से ही नल एण्ड वोइड हैं, जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है। वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने बताया कि वह शिड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, एवं उनके द्वारा शिड्यूल कास्ट के व्यक्ति से ही भूमि क्रय की है, जिस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 धारा 42 (बी) का उल्लंघन नहीं है। साथ ही वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने अवगत कराया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू हुआ था, परन्तु उसमें संशोधन 1964 में किया गया था, जिसमें धारा 42 (बी) को जोड़ा गया था, जिस कारण दिनांक 29.05.1963 से पूर्व के सभी विक्रय, दानपत्र एवं अन्य तरीके से किये गये स्थानानान्तरण वैध है। वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किया–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

✓ **RRD 1985 S.B. C.W.P. No. 30/1976 Suwa lal vs State of Rajasthan Page No. 98:-** This rule is directed against an order of the Member, Board of Revenue allowing reference under section 232 of the Rajasthan Tenancy Act.

2. The only question which is to be considered whether the alleged transfer by scheduled castes tenant to a non scheduled castes tenant was before or after the amendment of Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act. Admittedly, the amendment was made in 1964. It has been held in Division Bench Judgment of this Court reported in 1964 R.L.W. at page 512 that the amendment is not etrospective. It cannot be argued that if the amendment is not retrospective the amendment will apply in respect of transaction completed before the amendment came into force.

3. In that view of the matter the order of the Member, Board of Revenue, cannot be sustained and I, therefore quash the order and make the rule absolute. There will be no order as to costs.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:58:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त उल्लेखित न्यायिक दृष्टान्त एवं विधिक प्रावधानों का समुचित विवेचन व अवलोकन करने पर प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता द्वारा दिये गये विधिक तर्को की पुष्टि होती है।

8. उपरोक्त विवेचन से वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

–:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 22.12.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया। तद्नुसार पर्चा [illegible] होकर असली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:58:45 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी स्थान चौथ का बरवाड़ा

1. देवीशंकर पुत्र कल्याण मीना
2. विजयशंकर पुत्र कल्याण मीना
3. श्योराज पुत्र हरिशंकर मीना
4. राकेश पुत्र हरिशंकर मीना
5. सुरेश पुत्र हरिशंकर जरिये संरक्षक अग्रज भ्राता श्योराज पुत्र हरिशंकर मीना
   निवासीयान हस्तगंज, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

बनाम

1. गणपतलाल पुत्र रामगोपाल खटीक, निवासी चौथ का बरवाड़ा, तहसील चौथ का बरवाड़ा।
2. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

नम्बर मुकदमा 14 सन् 2013

दावा बाबत् हक, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बेदखली अन्तर्गत धारा 88, 188, 183 आर0टी0 एक्ट

वादीगण की ओर से श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री सुधीर कुमार जैन, एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 22.12.2025 को श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारें के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है एवं वादीगण का वादपत्र खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना खर्चा स्वयं वहन करे।

इस वाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 22.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

वादी		रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
जोड		00	00	जोड	00	00

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.12.26 14:58:45 IST
Reason: SelfAttested